

The Coastal Shipping Bill, 2024

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to regulation of coastal shipping, promote coasting trade and encourage domestic participation therein, to ensure that India is equipped with a coastal fleet, owned and operated by the citizens of India for its national security and commercial needs, and for matters connected therewith or incidental thereto.

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री मनीश तिवारीजी।

? (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Madam, the House is not in order ?
(Interruptions)

माननीयसभापति : माननीयसदस्यश्रीगौरवगोगोईजी।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

कि तटीय पोत परिवहन के विनियमन से संबंधित विधि के समेकन और संशोधन के लिए, तटीय व्यापार की प्रोत्ति के लिए और उसमें घरेलू सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक आवश्यकताओं के लिए भारतीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और प्रचालित तटीय बेड़ों से सुसज्जित हो, और उनसे संसक्त और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। ?

प्रस्तावस्वीकृतहुआ।

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Madam, I introduce the Bill.

12.07 hrs